# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 17.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 17.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मऊ पुलिस टीम ने फर्जी फोन पे एप का इस्तेमाल कर पैसे भेजना दिखाकर पेट्रोल पम्प/दुकानदारों से फ्रॉड करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

अभियुक्त का नाम पता-

सूरज सिंह पुत्र कमल सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

1. 35.52 लीटर डीजल
2. फोन वीवो वाई 16

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.07.2025 की शाम करीब 06.05 बजे थाना क्षेत्र मे स्थित शिव कृपा एचपी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पर एक व्यक्ति सूरज सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट के द्वारा पहुंचकर 5000/- रुपये का फर्जी फोन पे एप से पेमेंट करते हुये 2800 रुपया का डीजल लिया गया व बाकी के बचे 2200/- रुपयों को पेट्रोल टंकी पर मौजूद सेल्समैन से कैश देने हेतु कहा गया । परन्तु पैसा प्राप्त होने का नोटिफिकेशन न आने पर सेल्समैन द्वारा अंदर कार्यालय जाकर चेक कराया गया तो पता चला कि कोई पैसा आया ही नहीं है । जिस पर वहाँ के मैनेजर द्वारा डायल 112 को सूचित किया गया, जिनके द्वारा अभियुक्त सूरज उपरोक्त को थाना स्थानीय लाया गया तत्पश्चात वादी सेल्समैन के द्वारा तहरीर देकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/25 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट बनाम अभियुक्त सूरज उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण की जाँच एवं विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सूरज उपरोक्त के द्वारा एक नकली फोन पे एप का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि दिखने मे असली फोन पे यूपीआई एप की तरह ही दिखता है, जिसका इंटरफेस व कार्यप्रणाली भी दिखने मे असली फोन पे की तरह है । जिससे दुकानदारों आदि को पैसा भेजा जाना दिखाकर फ्रॉड किया जाता है । उक्त तथ्यों के प्रकाश मे आने के दृष्टिगत अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र कमल सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 35.52 लीटर डीजल व उसके फोन वीवो वाई 16 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला थाना मऊ

**(4).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त घनश्याम निषाद पुत्र उर्फ पट्टू पुत्र छेदीलील निषाद निवासी चकमाली अमानपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1.चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता
2.आरक्षी अनुज यादव
3.आरक्षी अजय कुमार

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंकित सिंह व उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर इष्ट देव पाण्डेय उर्फ पनसुखी पुत्र राधे श्याम निवासी शांति नगर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 01अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरुद्ध थाना मऊ में निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत है।
हिस्ट्रीशीटर का आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 16/2022 धारा 307,386, 504, 34 भादवि0 थाना मऊ
2.मु0अ0सं0 138/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ
3.मु0अ0सं0 111/2022 धारा 457,380,411,413 भादवि0 थाना मऊ
4.मु0अ0सं0 16/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ
5.मु0अ0सं0 106/2043 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1) दध एससी एसटी एक्ट थाना मऊ
6.मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ
बरामदगीः-
01 अदद तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री अंकित सिंह थाना मऊ
2.आरक्षी शुभम त्रिपाठी
3.आरक्षी सोनपाल
**(6).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी राजापुर श्री यदुवीर सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनाँक 17.07.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2005 धारा 279,338,304A भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामसिद्ध गर्ग पुत्र रामबहादुर गर्ग निवासी शिरावल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक व 5000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

**(7).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी राजापुर श्री यदुवीर सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव  द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनाँक 17.07.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2023 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त सोनू यादव पुत्र रमाकांत यादव निवासी रजवापुर अब्दुल वाहिद गंज थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को न्यायालय उठने तक व 5000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।